

क्रमांक 1627 आवाग पटना १५, दिनांक २३ जून, ०५ ।
प्र०६ अन्त्यादेय -०५/०३

श्रेणिक ,

श्री अरुण फा ,
सरकार के सचिव ।

विषय में ,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिलापदाधिकारी ।

विषय :- अन्त्यादेय अन्न योजना के अन्तगत योग्य व्यक्ति परिवार के व्यय के संबंध में ।

शिक्षक ,

निदेशानुसार , उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक ११५५ दिनांक १६-४-२००४ और आपका ध्यान साकृष्ट किया जाता है । उक्त पत्र के साथ भारत सरकार , उपमंत्रालय में , साथ एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त निदेश पत्रांक २९(५) १२००२ की प्रतिलिपि भी दी है । दिनांक १६-३-२००४ की प्रतिलिपि भी दी है । जिसमें गृह विहीन अनाश्रय वाले व्यक्तिगणों । परिवारों को भी जो अन्त्यादेय अन्न योजना की पात्रता रखते हों उन्हें भी सी० पी० एल० सूची में शामिल नहीं हो को भी अन्त्यादेय अन्न योजना में शामिल करने का निर्देश दिया गया है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पी० यु० सी० एल० १६६/२००९ में उपरोक्त आयुक्त श्री डा० एन० भी सक्सेना एवं विशेष आयुक्त हर्षा मान्डेर से भी पत्र दिनांक २० वाई पी० एल० १००५ और स्टेट्स दिनांक ७-६-२००५ इसी संबंध में प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय

(क०प०३०)

